मध्य प्रदेश भू-दान-यज्ञ मंडल,
नागपुर २.

मध्यप्रदेश अधिनियम संख्या १५, १९५३

मध्यप्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, १९५३

विषय-सूची

प्रस्तावना

धाराएं

अध्याय १.—प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम और विस्तार.

२. परिभाषायें.

अध्याय २.—मंडली की स्थापना

३. भू-दान यज्ञ मंडली का निगमन.

४. मंडली का गठन.

५. सदस्य अथवा सभापति की पदावधि.

६. रिक्त स्थान की पूर्ति.

७. कार्यवाहियों की मान्यता.

८. पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति.

९. पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा की शत.

१०. कार्य-संचालन.

११. गण-पूर्ति.

१२. मंडली की निधियां.

१३. निधियों की प्रयुक्ति.

१४. संविदा करने की शक्ति.

१५. मंडली का विघटन.

१६. तहसील समितियां.

अध्याय ३.—भूप्रदान

१७. भूप्रदान करने के लिये प्रक्रिया.

१८. राजस्व पदाधिकारी का आदेश दीवानी दावे का विषय होगा.

[किमत—चार आणे]

www.vinoba.in

धाराएं

१९. दान अप्रतिसंहरणीय होंगे.

२०. मंडली में निहित भूमियां कुर्क न होंगी.

२१. अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व भूमि का दान.

अध्याय ४.—भूमि का बटवारा

२२. पट्टों पर देने की मंडली की शक्ति.

२३. तहसील समिति भूमि का बटवारा करेगी.

२४. पट्टे की शर्तें.

२५. शर्तें भंग करने पर पट्टेदार की बेदखली.

२६. भू-दान पट्टेदार के हक.

२७. पट्ट-धन के अवशेषों की वसूली.

अध्याय ५.—विविध

२८. मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन से मुक्ति.

२९. अवैधरूप से काबिज व्यक्तियों की बेदखली.

३०. खाते की भूमि का विभाजन.

३१. भू-राजस्व माफ करने की शक्ति.

३२. प्रक्रिया.

३३. तहसील समिति के रूप में कार्य करने की मंडली की शक्ति

३४. विनियम.

३५. नियम बनाने की शक्ति.

www.vinoba.in

मध्यप्रदेश अधिनियम संख्या १५, १९५३

मध्यप्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, १९५३

[इसे राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक २९ जून १९५३ को प्राप्त हुई; अनुमति पहिली बार मध्यप्रदेश सूचनापत्र में दिनांक ३ जुलाई १९५३ को प्रकाशित हुई.]

आचार्य विनोबा भावे द्वारा सूत्रपात्र किये गये भू-दान यज्ञ संबंधी कार्य को सुकर बनाने तथा भू-दान यज्ञ मंडली का गठन करने, उक्त मंडली को भूमिओं का दान करने, दान में प्राप्त भूमिओं का भूमिहीन व्यक्तियों में बटवारा करने तथा उसके सहायक विषयों के लिए उपबंध करने का अधिनियम.

प्रस्तावना.

क्योंकि यह वांछनीय है कि श्री. आचार्य विनोबा भावे द्वारा सूत्रपात्र किये गये भू-दान-यज्ञ सँबंधी कार्य को सुकर बनान तथा भू-दान यज्ञ मंडली का गठन करने, उक्त मंडली को भमिओं का दान करने, दान में प्राप्त भूमिओं का भूमिहीन व्यक्तियों में बटवारा करने तथा उसके सहायक विषयों के लिए उपबन्ध किया जावे;

अतः इसके द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय १.—प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और विस्तार.

१. (१) यह अधिनियम मध्यप्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, १९५३ कहलावे.

(२) इसका विस्तार समस्त मध्यप्रदेश भर है.

परिभाषाएं.

२. जब तक विषय अथवा प्रसंग में कोई बात विपरीत न हो तब तक इस अधिनियम में,—

(क) "भू-दान यज्ञ" से आशय मंडली के पक्ष में स्वेच्छा से दिये गये दानों द्वारा भूमिओं का अर्जन करने के लिए श्री. आचार्य विनोबा भावे द्वारा सूत्रपात्र किये गये आन्दोलन से है;

(ख) "मंडली" से आशय धारा ३ के अधीन स्थापित भूदान यज्ञ मंडली से है;

(ग) "भूमि" से आशय उस भूमि से है जो कृषि प्रयोजनों के लिए अथवा कृषि के सहायक प्रयोजनों के लिए अथवा चरागाह के लिए काबिज की या किराये पर दी जाती हो;

(घ) "भूमिहीन व्यक्ति" से आशय उस व्यक्ति से है जो कोई भूमि धारण न करता हो अथवा जो उस क्षेत्र से कम भूमि धारण करता हो जिसे इस सम्बन्ध में विहित किया जाय;

(ङ) इस अधिनियम के किसी उपबन्ध में "राजस्व पदाधिकारी" से आशय यथास्थिति मध्यप्रान्त भू-राजस्व अधिनियम, १९१७, या बरार भू-राजस्व संहिता, १९२८, के अधीन नियुक्त ऐसे राजस्व पदाधिकारी से है जिसे राज्य सरकार उस उपबन्ध के अधीन राजस्व पदाधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए अधिसूचना द्वारा निदेश दे;

(च) "विहित" से आशय इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है.

अध्याय २.—मंडली की स्थापना

भू-दान यज्ञ मंडली का निगमन.

३. (१) मध्यप्रदेश भू-दान यज्ञ मंडली नाम्नी एक मंडली स्थापित की जावेगी.

(२) मंडली निगम निकाय होगी तथा जिसकी शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और उसे चल और अचल दोनों सम्पत्तियों के अर्जन और यापन की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह दावा करेगी और उस पर दावा किया जावेगा.

(३) मंडली को भू-दान यज्ञ के हेतु उसमें निहित सभी भूमिओं का इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रशासन करने का कर्तव्य होगा.

www.vinoba.in

मंडली का गठन.

४. मंडली निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्—

(क) श्री. आचार्य विनोबा भावे द्वारा नामनिर्दिष्ट—सभापति ; और

(ख) श्री. आचार्य विनोबा भावे द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य जो छः अथवा अधिक किन्तु दस से अधिक न होंगे.

सदस्य अथवा सभापति की पदावधि.

५. (१) धारा ४ के अधीन नामनिर्दिष्ट सभापति अथवा सदस्य अपने नाम निर्देशन के दिनांक से चार वर्षों की अवधि के लिये पद धारण करेगा तथा पुनः नाम निर्देशन का पात्र होगा.

(२) सभापति तथा सदस्यों का नामनिर्देशन सूचना-पत्र में अधिसूचित किया जावेगा.

परन्तु राज्य सरकार मंडली के किसी सदस्य को पद से हटा सकती है जो राज्य सरकार की राय में अपने कर्तव्यों का पालन करने में चूक गया हो या उन्हें पूर्ण करने में असमर्थ हो अथवा जिसने मंडली के सदस्य के रूप में अपने पद का ऐसा दुरुपयोग किया हो कि उसे सदस्य के रूप में बनाये रखना लोकहित के लिये घातक हो.

रिक्त स्थान की पूर्ति.

६. (१) मंडली का सभापति अथवा कोई सदस्य राज्य सरकार को अपना त्यागपत्र देकर किसी भी समय अपना पद त्याग सकता है. ऐसा कोई पदत्याग तब तक प्रभाव में न आवेगा जब तक कि वह स्वीकार न कर लिया जावे.

(२) सभापति अथवा सदस्य के किसी रिक्त स्थान की पूर्ति यथा संभव शीघ्र की जावेगी.

कार्यवाहियों की मान्यता.

७. इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात अथवा कार्यवाहियों पर मंडली मे किसी रिक्ति के कारण अथवा मंडली के सभापति अथवा किसी सदस्य के नामनिर्देशन में किसी दोष अथवा अनियमितता के कारण आक्षेप न किया जावेगा.

पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति.

८. मंडली ऐसे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को नियुक्त कर सकती है जैसे उसे अपने कृत्यों का दक्षता से संपादन करने के लिये आवश्यकता प्रतीत हों.

पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा की शर्तें.

९. मंडली के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के पारिश्रमिक तथा सेवा की अन्य शर्तें वैसी ही होंगी जैसी विनियमों द्वारा निश्चित की जावे.

कार्य का संचालन.

१०. मंडली अधिविष्ट होगी तथा निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन रहते हुए वह अपने अधिवेशनों के दिन, समय, सूचना प्रबन्ध तथा स्थगन के सम्बन्ध में समय समय पर ऐसी व्यवस्था करेगी जो उसे उचित प्रतीत हों, अर्थात्—

(क) सभापति जब उचित समझे तब विशेष अधिवेशन बुला सकेगा ;

(ख) सभापति प्रत्येक अधिवेशन का सभापतित्व करेगा और उसकी अनुपस्थिति में अधिवेशन द्वारा उस अवसर पर सभापतित्व करने के लिए चुना गया कोई सदस्य करेगा ;

(ग) किसी अधिवेशन में प्रस्तुत सारे प्रश्नों का निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा और बराबर बराबर मतों की अवस्था में सभापतित्व करने वाले व्यक्ति को द्वितीय अथवा निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा ; और

(घ) प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के वृत्त एक पुस्त में दर्ज किये जायेंगे जो उस प्रयोजन के लिए उपबंधित की गई हो.

www.vinoba.in

११. (१) अधिवेशन की गणपूर्ति पांच सदस्यों से होगी. गणपूर्ति.

(२) यदि मंडली के किसी अधिवेशन में गणपूर्ति न हो तो सभापति अधिवेशन को ऐसे अन्य दिन के लिए स्थगित कर देगा जैसा उसे उचित प्रतीत हो तथा जो कार्य गणपूर्ति रहने की अवस्था में मूल अधिवेशन के समक्ष लाया गया होता वह स्थगित अधिवेशन के समक्ष लाया जायगा और किया जायेगा, चाहे तब उसमें गणपूर्ति हो अथवा न हो.

१२. मंडली की अपनी निजी निधि होगी तथा वह अपने सब या किसी प्रयोजन के मंडली की लिए केन्द्रीय या राज्य की सरकारों से अथवा स्थानीय प्राधिकारी से अथवा किसी व्यक्ति से निधियां. अथवा निकाय से, चाहे वह निगमित हो या न हो, मंडली के सब प्रयोजनों के लिए अथवा किसी प्रयोजन के लिए, अनुदान, दान, भेंट अथवा ऋण स्वीकार कर सकती है.

१३. मंडली में निहित सब सम्पत्ति, निधि और अन्य सब आस्तियां, इस अधिनियम निधियों की के प्रयोजनों के लिए और उसके उपबंधों के अधीन, मंडली द्वारा धारण और प्रयुक्त की जायेंगी. प्रयुक्ति.

१४. मंडली ऐसी सब संविदाएं कर सकती और उनका पालन कर सकती संविदा करने है जैसी उसे इस अधिनियम के किसी प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक की शक्ति. अथवा वांछनीय प्रतीत हों.

१५. (१) यदि किसी समय राज्य सरकार को समाधान हो जावे कि— मंडली का विघटन.

(क) मंडली इस अधिनियम के अधीन अथवा द्वारा आरोपित अथवा सौंपें हुए कर्तव्यों अथवा कृत्यों का निर्वहन करने अथवा पालन करने में युक्ति युक्त कारण अथवा उज्र के विना चूक गई हो, अथवा

(ख) ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं कि मंडली इस अधिनियम के अधीन अथवा द्वारा आरोपित अथवा सौंपे हुए कर्तव्यों अथवा कृत्यों का निर्वहन करने अथवा पालन करने में असमर्थ हो गई हो अथवा असमथ बन जावे, अथवा

(ग) ऐसा करना वांछनीय अथवा आवश्यक है,

तो वह सूचनापत्र में अधिसूचना द्वारा—

(१) उल्लिखित की जाने वाली अवधि तक के लिये मंडली का विघटन कर सकती है जो समय समय पर बढाई जा सकती है ;

(२) इस अधिनियम के उपवन्धों के अनुसार मंडली को पुनः गठन करने का निदेश दे सकती है ;

(३) घोषणा कर सकती है कि इस अधिनियम के अधीन मंडली के कर्तव्यों, शक्तियों तथा कृत्यों का निर्वहन, प्रयोग तथा पालन जितनी अवधि के लिये वह भंग की गई है उतनी अवधी के लिए ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी द्वारा तथा उसमें उल्लिखित ऐसे निर्बंधनों के अधीन होगा.

(२) ऐसे प्रासंगिक अथवा आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये राज्य सरकार आदेशों को जारी कर सकती है जो कि इस उपधारा के प्रयोजन के लिये आवश्यक प्रतीत हों.

१६. (१) मंडली यदि वैसा करना उचित समझे तो किसी तहसील अथवा तालुका तहसील के लिए विनोवा भावे के परामर्श से मंडली द्वारा नियुक्त किये जानेवाले अन्यून तीन और समितियां. अनधिक सात सदस्यों की तहसील समितियों का गठन कर सकती है.

(२) तहसील समिति के सदस्य संबंधित तहसील या तालुका के क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले व्यक्तियों में से मंडली द्वारा चुने जायेंगे.

www.vinoba.in

अध्याय ३.—भूप्रदान

भूप्रदान करने के लिये प्रक्रिया.

१७. (१) जो व्यक्ति भूमि में किसी हस्तान्तरणीय हितसंबंध का स्वामी हो और उसे मंडली को दान में देने का इच्छुक हो तो वह मंडली को विहित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है.

(२) यदि मंडली उस दान को स्वीकार करने योग्य समझे तो वह उस आवेदन-पत्र को उस तहसील या तालुका में क्षेत्राधिकार रखने वाले राजस्व पदाधिकारी के पास भेजेगी जिसमें वह भूमि स्थित हो.

(३) उपधारा (१) में उल्लिखित आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर, यदि राजस्व पदाधिकारी का ऐसी सरसरी जांच के पश्चात् जैसी उसे आवश्यक प्रतीत हो, समाधान हो जाय कि दाता ऐसा दान देने के लिए सक्षम है और उसे भूमि में वैध हक्क है तो वह विहित प्रपत्र में ऐसे सब व्यक्तियों को जो उसे उस सम्पत्ति में हितसंबंध रखने वाले प्रतीत हों, सूचना जारी करेगा जिसमें उन्हें सूचना में उल्लिखित दिनांक के पूर्व इस बात का कारण बतलाने के लिए कहा जायेगा कि दान क्यों स्वीकार न किया जाये.

(४) राजस्व पदाधिकारी उपधारा (३) में उल्लिखित सूचना की एक प्रति अपने न्यायालय के सूचना फलक पर भी चिपकायेगा और जिस गांव में वह भूमि स्थित हो उसमें मुनादी पिटवाकर उसे जाहिर करायेगा.

(५) उस संपत्ति में हित संबंध रखनेवाला कोई व्यक्ति सूचना में उल्लिखित दिनांक के पूर्व राजस्व पदाधिकारी के समक्ष इस बात का कारण देते हुए आक्षेप प्रस्तुत कर सकता है कि दान क्यों स्वीकार न किया जाये.

(६) ऐसे सब आक्षेपों की जांच और उनका निर्णय राजस्व पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा.

(७) यदि उल्लिखित दिनांक के पूर्व कोई आक्षप प्रस्तुत न किया जाय अथवा यदि राजस्व पदाधिकारी प्रस्तुत किय गये सब आक्षेप नामंजूर कर दे तो वह मंडली की ओर से दान स्वीकार करने का आदेश पारित करेगा.

(८) दान स्वीकार किये जाने पर उस भूमि में दाता के सब हक और हितसंबंध समाप्त हो जायेंगे और वह भूमि धारा १८ के उपबंधों के अधीन रहते हुए मंडली में उन्हीं अधिकारों में निहित होगी जो दाता द्वारा धारित थे.

(९) उपधारा (७) के अधीन दिया गया आदेश उस राजस्व पदाधिकारी द्वारा भारतीय पंजीयन अधिनियम, १९०८ के अधीन उस रीति में पंजीबद्ध करवाया जायेगा जसी विहित की जाये और तदुपरान्त वह आदेश के दिनांक से प्रभावकारी होगा मानो वह दान-विलेख हो. संख्या १६, १९०८.

(१०) आदेश के पंजीयन के लिए कोई फीस न लगेगी.

(११) राजस्व पदाधिकारी कार्यवाही के किसी प्रक्रम में निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर दाता के आवेदन को खारिज कर सकता है, अर्थात् :—

(१) दाता दान देने के लिए अक्षम है ;
(२) दाता का हक्क दोषयुक्त है ;
(३) उस भूमि पर भार है ;
(४) भू-राजस्व अथवा लगान के अवशेष हैं ; और
(५) ऐसे अन्य आधार हैं जैसे विहित किये जायें.

राजस्व पदाधिकारी का आदेश दीवानी दावे का विषय होगा.

१८. आक्षेप नामंजूर करनेवाला धारा १७ की उपधारा (७) के अधीन पारित राजस्व पदाधिकारी का आदेश अपील या पुनरावृत्ति का विषय न होगा परन्तु आदेश से पीडित कोई व्यक्ति अथवा भूमि में हितसंबंध रखनेवाला कोई अन्य व्यक्ति जिसे धारा १७ के अधीन कार्यवाहियों की सूचना न हो, ऐसे आदेश के दिनांक से छः माह के भीतर क्षेत्राधिकार रखने वाले दीवानी न्यायालय में ऐसा आदेश रद्द कराने के लिए दावा दायर कर सकता है और ऐसे न्यायालय का निर्णय मंडली पर बंधनकारी होगा और ऐसे दावे के निर्णय, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए राजस्व पदाधिकारी का आदेश अन्तिम होगा.

www.vinoba.in

१९. जिस भूमि के संबंध में धारा १७ के अधीन आदेश पारित किया गया हो उसका प्रत्येक दान आदेश के दिनांक के पश्चात् अप्रतिसंहरणीय होगा. दान अप्रतिसंहरणीय होंगे.

२०. मंडली में निहित भूमियां मंडली के विरूद्ध दीवानी न्यायालय द्वारा पारित किसी आज्ञप्ति अथवा आदेश के निष्पादान में कुर्की अथवा विक्री के लिये दायी न होंगी. मंडली में निहित भूमियां कुर्क न होंगी.

२१. (१) भू-दान यज्ञ के प्रयोजनों के लिये इस अधिनियम के आरम्भ के पूर्व यदि कोई भूमि दान की गई हो तो मंडली ऐसी सब भूमियों की सूची को, उसमें यह दर्शाते हुए, तैयार करेगी — अधिनियम के आरम्भ के पूर्व भूमि का दान.

(क) क्षेत्र तथा वर्णन ;
(ख) दाता का नाम ;
(ग) भूमि में दाता के हितसंबंध का प्रकार ;
(घ) यदि भूमि-दान यज्ञ के अनुसरण में किसी व्यक्ति को भूमि अनुदत्त की गई हो तो जिस व्यक्ति को भूमि अनुदत्त की गई हो उसका नाम ;
(ङ) खण्ड (घ) के अधीन अनुदान की तारीख, तथा
(च) अन्य ऐसी तफसीलें जो विहित की जावें.

(२) ऐसी तैयार की गई सूची उस जिले के उपायुक्त को भेजी जावेगी, जिसके क्षेत्राधिकार में भूमि स्थित है.

(३) ऐसी सूची के प्राप्त होने पर उपायुक्त सूची में वर्णित भूमियों के संबंध में धारा १७ के अनुसार कार्यवाही करेगा.

(४) उक्त भूमियों के सभी दानों के संबंध में धारा १७ से २० तक के उपबन्ध उसी तरह लागू होंगे जैसे वे इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् भूमियों के सभी दानों के संबंध में लागू होते हैं.

परन्तु, यदि धारा १७ की उपधारा (७) के अधीन राजस्व पदाधिकारी द्वारा आदेश दिया गया हो, तो दान उस दिनांक से स्वीकृत समझा जावेगा जिस दिनांक को जब भूमि का दान दिया गया हो तथा इस प्रयोजन के लिये यह अधिनियम ऐसे दिनांक से प्रभाव में आया समझा जावेगा.

(५) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व भू-दान यज्ञ के अनुसरण में दान में प्राप्त कोई भूमि किसी व्यक्ति को पहले ही अनुदत्त की गई हो तो वह मंडली द्वारा ऐसे दिनांक से ऐसे व्यक्ति को अनुदत्त की गई समझी जावेगी जिस दिनांक को ऐसा व्यक्ति उस पर कब्जा करता हो तथा सामान्यतः मंडली द्वारा दिये गये अनुदानों के संबंध में सभी दायित्वों के अनुसार ही यह अनुदान होगा.

अध्याय ४.—भूमि का बटवारा

२२. किसी विधि में किसी विपरीत बात का उपबंध किये जाने पर भी,— पट्टों पर देने की मंडली की शक्ति.

(१) मंडली को उसमें निहित भूमि को पट्टेपर देने की शक्ति होगी, और
(२) इस अधिनियम में उपबंधित किये गये अनुसार ही पट्टेदार को अधिकार प्राप्त होंगे और वह उसी के अनुसार किन्हीं अधिकारों का दावा करने का हकदार होगा, अन्यथा नहीं.

२३. मंडली द्वारा इस संबंध में जो विनियम बनाये उनके अनुसार, तहसील समिति मंडली में निहित भूमि का बटवारा ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को करेगी जो उसकी काश्त करने में स्वयं समर्थ हों. तहसील समिति भूमि का बटवारा करेगी.

www.vinoba.in

पट्टे की शर्तें.

२४. जिस व्यक्ति को धारा २३ के अधीन भूमि का आवंटन किया गया हो वह ग्राम-पत्रों में अथवा अधिकारों के अभिलेख में भू-दान पट्टेदार के समान अभिलिखित किया जायगा और वह निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन भूमि धारण करेगा अर्थात् :—

(क) पट्टेदार ऐसे पट्टेदार के रूप में भूमि धारण करने का हकदार तब तक रहेगा जब तक वह भूमि मंडली में निहित होती रहे.

(ख) धारणकर्ता की मृत्यु होने पर पट्ट-धृत अधिकार उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त होंगे.

(ग) पट्टेदार भूमि में कोई हितसंबंध हस्तान्तरित न करेगा.

(घ) पट्टेदार भूमि को किसी भी परिस्थिति में शिकमी पट्टे पर न देगा.

(ङ) पट्टेदार भूमि को दो वर्ष से अधिक कालावधि के लिये पडती न रहने देगा.

(च) जिस दिनांक को भूमि का भू-राजस्व देय हो उस दिनांक के एक माह पूर्व पट्टेदार पट्टधन चुका देगा.

(छ) पट्टेदार उन शर्तों का पालन करेगा जिनको मंडली विनियमों द्वारा आरोपित करे.

शर्तें भंग करने पर पट्टेदार की बेदखली.

२५. (१) यदि कोई पट्टेदार धारा २४ की (क) से (छ) में किसी शर्त को भंग करे तो मंडली राजस्व पदाधिकारी को पट्टा समाप्त करने के लिये आवेदन कर सकती है.

(२) राजस्व पदाधिकारी, वैसी जांच के पश्चात् जैसी उसे उचित प्रतीत हो, पट्टा समाप्त कर सकता है और मंडली को उस भूमि का कब्जा वापस कर सकता है.

भू-दान पट्टेदार के हक.

२६. कोई व्यक्ति जिसने भूदान पट्टेदार के रूप में धारा २४ की शर्तों के अनुसार लगातार दस वर्षों तक भूमि धारण की हो, दस वर्ष बीत जाने पर उसे भूमि में वे ही हक्क प्राप्त होंगे जो मंडली को प्राप्त रहे हों तथा उसमें मंडली का हक और हितसम्बन्ध समाप्त हो जावेगा.

पट्टधन के अवशेषों की वसूली.

२७. पट्टेदार द्वारा मंडली को देय पट्टधन के कोई अवशेष, मंडली द्वारा आवेदन किये जाने पर उसी प्रकार वसूल किये जाने योग्य होंगे जैसे भू-राजस्व के अवशेष.

अध्याय ५.—विविध

मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन से मुक्ति.

२८. धारा १७ के अधीन दान की स्वीकृति अथवा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अनुदान की गई अथवा की समझी गई भूमि किसी विपरीत विधि के होते हुए भी मुद्रांक शुल्क तथा दस्तावेजों के पंजीयन तथा निष्पादान संबंधी विधि के अधीन पंजीयन अथवा अभिप्रमाण के शोधन से मुक्त होगी अथवा सदैव ही मुक्त समझी जावेगी.

अवैधरूप से काबिज व्यक्तियों की बेदखली.

२९. धारा १७ के अधीन पारित आदेश के दिनांक को भूमि पर काबिज कोई व्यक्ति और मंडली में निहित भूमि पर विधि के अनुसार छोड अन्यथा उस पर कब्जा करना हो वह मंडली द्वारा अथवा संबंधित पट्टेदार द्वारा राजस्व पदाधिकारी को आवेदन करने पर बेदखल किया जा सकता है.

खाते की भूमि का विभाजन.

३०. यदि मंडली को दान की गई भूमि खाते की भूमि का एक भाग होती हो तो मंडली अथवा संबंधित पट्टेदार राजस्व पदाधिकारी को कब्जे के लिये आवेदन कर सकता है और किसी विधि में किसी विपरीत उपबन्ध के होते हुए भी राजस्व पदाधिकारी खाते का विभाजन तथा भूमि का सीमांकन कर सकता है और लगान का अभिभाजन कर सकता है.

भू-राजस्व माफ करने की शक्ति

३१. (१) यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि मंडली भूमि को किसी वर्ष पट्टे पर देने में असमर्थ रही है तो वह भूमि का उस वर्ष का देय भू-राजस्व अथवा लगान माफ कर सकती है.

www.vinoba.in

(२) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकती है कि उपधारा (१) के अधीन उसको प्रदान की गई शक्तियां, ऐसी शर्तों के अधीन जैसी उल्लिखित की जायें, डिप्टी कमिश्नर के पद से नीचे न होने वाले किसी पदाधिकारी द्वारा प्रयोग में लायी जा सकेंगी.

संख्या २, १९१७. ३२. इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां सब प्रयोजनों के लिये यथास्थिति मध्यप्रान्त भू-राजस्व अधिनियम, १९१७, अथवा बरार भू-राजस्व संहिता, १९२८, के अधीन कार्यवाहियां मानी जायेंगी, तथा अधिनियम अथवा संहिता के अधीन कार्यवाहियों को प्रयुक्त प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा. प्रक्रिया.

३३. यदि किसी तहसील अथवा तालुका के लिये कोई तहसील समिति नहीं बनाई गई है तो इस अधिनियम के अधीन तहसील समिति के कार्य मंडली द्वारा किये जायेंगे. तहसील समिति के रूप में कार्य करने की मंडली की शक्ति.

३४. मंडली राज्य सरकार की पूर्वमंजूरी से समय समय पर इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों से सुसंगत निम्नलिखित के लिये विनियम बना सकती है :— विनियम.

(क) अपनी प्रक्रिया का विनियमन करने तथा उसके कार्य के निपटारे के लिये ;
(ख) अपने कर्मचारियों के पारिश्रमिक और नौकरी की शर्तों के लिये ;
(ग) प्रक्रिया के विनियमन, कार्य के निपटारे, पदावधि तथा तहसील समिति के सदस्यों के पद में आकस्मिक रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये ;
(घ) भूमि के बटवारे के लिये अनुकरणीय सिद्धान्तों के लिये, जिन व्यक्तियों को भूमि दी जाय उनकी अर्हताओं के लिये तथा एक कुटुम्ब को पट्टे पर दिये जानेवाले अधिकतम रकबे और पट्टघन के लिये ;
(ङ) पट्टेदारों को ऋण देने की शर्तों को विहित करने के लिये ;
(च) इस अधिनियम के अधीन मंडली के कार्यों से उत्पन्न होने वाले किसी दूसरे विषय के लिये जिसके लिये विनियम बनाना आवश्यक या वांछनीय हो.

३५. (१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये अधिसूचना द्वारा और पूर्वप्रकाशन की शर्त के अधीन नियम बना सकती है. नियम बनाने की शक्ति.

(२) विशेषत: और उपरोक्त शक्ति की व्यापकता को बाधा न पहुंचाते हुए राज्य सरकार :—

(क) धारा २ के खंड (घ) के प्रयोजनों के लिये भूमि का क्षेत्र विहित करने के लिये ;
(ख) भूमि का दान करने के हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिये धारा १७ की उपधारा (१) के अधीन आवेदन का प्रपत्र विहित करने के लिये ;
(ग) धारा १७ की उपधारा (३) के अधीन सूचना का प्रपत्र जिसके द्वारा व्यक्तियों को कारण बतलाने के लिये कहा जाय कि भूमि का दान क्यों स्वीकार न किया जाना चाहिये को विहित करने के लिये ;
(घ) धारा १७ की उपधारा (९) के अधीन दान स्वीकार करने के आदेश के पंजीयन की रीति विहित करने के लिये ;
(ङ) दान करने के आवेदन को खारिज करने के लिये धारा १७ की उपधारा (११) के पद (५) के अधीन अन्य आधार बतलाने के लिये ; और
(च) धारा २१ की उपधारा (१) के खंड (च) के अधीन अन्य तफसीलें विहित करने के लिये;

नियम बना सकती है.

GPN—841—LD—7-8-53—1,020.

www.vinoba.in